सप्तदश बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-19.12.2022 के लिए मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	डॉ० संजीव कुमार, स०वि०स० श्री ऋषि कुमार, स०वि०स० श्री चेतन आनंद, स०वि०स० श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स०वि०स० श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स० श्री विनय कुमार, स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, स०वि०स० श्री राजीव कुमार सिंह, स०वि०स० श्री मनोज यादव, स०वि०स० डॉ० सत्येन्द्र यादव, स०वि०स०	"बिहार प्रदेश अन्तर्गत गैरमजरूआ खास जमीन की खरीद-बिक्री सहित लगान की रसीद कटती थी लेकिन सिर्फ उसी जमीन की, जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं थी और संबंधित जमीन की जमाबंदी कायम थी । पिछले लगभग 6 वर्षों से वैसी गैरमजरूआ खास जमीन जो किसान और उनके पूर्वज 100 वर्षों से उस जमीन का लगान रसीद कटवा रहे थे उनपर रोक की वजह से लगान रसीद नहीं कट रहा है साथ ही उस जमीन की बंदोबस्ती भी नहीं हो रही है । इस कारण किसानों को सरकार से मिलने वाली फसल क्षतिपूर्ति सहित अन्य अनुदान का लाभ नहीं मिल पा रहा है । ज्ञात हो कि बिहार की 70% आबादी खेती पर ही निर्भर है और किसान किसी खास प्रयोजन में जमीन को बेच कर शादी-विवाह सहित अन्य पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं । रोक की वजह से इन किसानों को सरकारी अनुदान सहित जमीन की खरीद-बिक्री का लाभ नहीं मिल पा रहा है । अत: गैरमजरूआ खास की जमीन जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं है उसका लगान रसीद काटने की अनुमति देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	राजस्व एवं भूमि सुधार

2.	श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री हरि नारायण सिंह, स०वि०स० श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, स०वि०स० श्री छोटे लाल राय, स०वि०स० श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन, स०वि०स०	''राज्य के सरकारी विद्यालयों के रंग-रोगन, ब्लैक बोर्ड, शौचालय मरम्मत, साफ-सफाई, दरी, टी०एल०एम०, स्वच्छता सहित अन्य कार्यों हेतु विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष, स्थानीय माननीय विधायक एवं सचिव, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक होते हैं । पूर्व में विद्यालयों के खाता का संचालन सचिव एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जाता था, परन्तु वर्तमान समय में सचिव एवं विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक विद्यालय प्रबंध समिति का खाता संचालन कर रहे हैं । वर्तमान समय में सरकारी द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रबंध समिति मात्र पाँच लाख तक की राशि ही खर्च कर सकती है, जिसके कारण सरकारी राशि का दुरूपयोग होने के साथ ही सही तरीके से विकास राशि खर्च नहीं हो रही है । अत: राज्य में पूर्व की तरह विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा ही विद्यालयों के विकास के लिए विद्यालय का खाता संचालित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	शिक्षा
3.	श्रीमती ज्योति देवी, स०वि०स० श्री सतीश कुमार, स०वि०स० श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स० डॉ० सत्येन्द्र यादव, स०वि०स० श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स०वि०स० श्री रामविलास कामत, स०वि०स०	''बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों, +2 माध्यमिक विद्यालयों, अभियंत्रण महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमितीकरण से संबंधित नियमावली नहीं होने के कारण अतिथि शिक्षकों के समक्ष सेवा समाप्ति का भय बना रहता है, जिससे उन्हें मानसिक तनाव रहता है । अत: राज्य के विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।	शिक्षा / विज्ञान एवं प्रावैधिकी
4.	श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री अख्तरूल ईमान, स०वि०स०	बिहार में दलितों, गरीबों, दुकानदारों पर बुलडोजर चल रहे हैं । कोर्ट के हस्तक्षेप की आड़ में गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही है, वहीं जमीन कब्जा कर रखे भू-स्वामियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । गरीबों को आवंटित बासगीत पर्चे को खारिज कर गरीबों की झोपडियों को उजाड़ा जा रहा है । बक्सर के नया पुराना गाँव से लेकर दरभंगा के रजवाड़ा, मुसैया, कैटया, चंपारण के सुगौली, नवादा के रजौली हजारों परिवारों के दशकों पुराने आवास को उजाड़ा जा रहा है । बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को नहीं उजाड़ने के सरकारी नीति के बावजूद झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही है और लाखों परिवारों को उजाड़ने की नोटिस दे दी गई है । बिहार के दलित-गरीबों की एक बड़ी आबादी को आज भी जमीन का मालिकाना हक कागज नहीं मिलने से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है । पी० पी० एक्ट, 1948 के द्वारा भूमिहीनों को बासगीत पर्चा देने का प्रावधान बनाया गया था, मगर कानून लागू नहीं है । बिहार में भूमिहीनों का सर्वे कराकर नया वास-आवास बनाने की आवश्यकता है । अत: अत्यन्त लोक महत्व के इस विषय पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।	नगर विकास एवं आवास / राजस्व एवं भूमि सुधार

नोट:- क्रम संख्या 01 एवं 02 दिनांक 16.12.2022 से स्थगित ।

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/2022- 885 / वि०स०, पटना, दिनांक-16/12/22 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.12.22

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/2022- 885 / वि०स०, पटना, दिनांक16/12/2022 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.12.22

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/2022- 885 / वि०स०, पटना, दिनांक16/12/2022 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.12.22

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/2022- 885 / वि०स०, पटना, दिनांक16/12/2022 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

16.12.22

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

16/12/22